

परियोजना का नाम : जिम्बागाड़ लघु जल विद्युत परियोजना
(क्षमता - 3 X 4000 किलोवाट)

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 19/03/2021 को प्रश्रुगत परियोजना के लिये वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री दया सिंह पांगती, वन दरोगा एवं श्री प्रेम राम, वन दरोगा वन क्षेत्र - मुनस्यारी, राजस्व विभाग की ओर से श्री विरेंद्र सिंह नेगी, राजस्व उपनिरीक्षक, पट्टी - फर्वेकोट, तहसील - बंगापानी, प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री ऋषि सिंह, अधिशासी अभियंता (जानपद), श्री अमित कुमार, सहायक अभियंता (जा०), श्री गणेश फुलारा, सहायक अभियंता (जा०) एवं श्री अनिल राय, अवर अभियंता (जा०), यूजेवीएन लिमिटेड द्वारा संयुक्त निरीक्षण में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु निम्नानुसार वन भूमि/ नाप भूमि प्रभावित हो रही है।

आरक्षित वन भूमि 0.000 हे०, सिविल सोयम ~~वन~~ भूमि 4.449 हे०, वन पंचायत भूमि 3.190 हे०, एवं नाप भूमि 0.861 हे०, कुल 8.500 हे० भूमि प्रभावित हो रही है। परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वन भूमि मांग न्यूनतम है। परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा सुझाए गये अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया व वर्तमान विकल्प/ संरेखण को सर्वदा उपयुक्त पाया गया। प्रश्रुगत कार्यक्षेत्र के विकास एवम् जनहित में किया जाना है व इस परियोजना के निर्माण से समस्त तहसील बंगापानी एवम् जनपद पिथौरागढ़ की जनता लाभान्वित होगी।

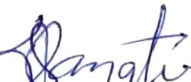
आवेदित वन भूमि में विभिन्न प्रजाति के 190 वृक्ष प्रभावित होते हैं जिनकी सूची संलग्न है। प्रस्तावित क्षेत्र में कोई धार्मिक, ऐतिहासिक अथवा ऐसे कोई सामाजिक स्थल प्रभावित नहीं होते हैं।

ह०/-

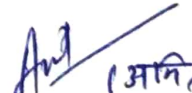

बी०एस० नर्म
राजस्व उप निरीक्षक
(राजस्व विभाग प्रतिनिधि)
तहसील बंगापानी
पिथौरागढ़


तहसीलदार
बंगापानी

ह०/-


वन क्षेत्राधिकारी
(वन विभाग प्रतिनिधि)
मुनस्यारी

ह०/-


(अनिल कुमार)
सहायक अभियंता (जानपद)
(प्रयोक्त सहायक अभियंता)
यू० जे० बी० एन० लि०,
हाट, धारचूला (पिथौरागढ़)